सं0-1/6172 /62-2-2013-2/4(120)/2004

प्रेषक,

आलोक रंजन,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 05 दिसम्बर,2013

विषय- अवर अभियंता, लघु सिंचाई को अन्य अभियंत्रण विभागों की भांति हस्ताक्षर बनाने की बाध्यता से मुक्त रखने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तकनीकी कार्यो को दृष्टिगत रखते हुए जनपद स्तर पर कार्यरत अवर अभियंता, लघु सिंचाई को अन्य अभियंत्रण विभागों की भांति हस्ताक्षर बनाने की बाध्यता से मुक्त रखने का निर्णय लिया गया है।

कृपया तदनुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)

कृषि उत्पादन आयुक्त।

http://shasanadesh.up.nic.in

सं0-6172 (1)/62-2-2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

3- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- समस्त अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई विभाग,उ0प्र0।

5- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र नाथ वर्मा)

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in